मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, बेंगलुरु-1, बेंगलुरु
Office of the Chief Commissioner of Income tax, Bengaluru-1, Bengaluru
केन्द्रीय राजस्व भवन, क्वींस रोड, बेंगलुरु – 560 001
C.R. Buildings, Queen's Road, Bengaluru – 560 001.
Tele: 080-22864812 email: Bangalore.ccit1@incometax.gov.in

F.No.17(2)/MHPL-D/CCIT/BNG-1/2022-23 Dated: 01.09.2022

PROCEEDINGS OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX, BENGALURU-1, BENGALURU.

PRASHANT BHUSHAN, IRS
Chief Commissioner of Income-tax,
Bengaluru-1, Bengaluru.

****

Sub: Approval of Hospital u/s 17(2) of the Income-tax Act, 1961 in the case of **M/s. Manipal Hospitals Pvt. Ltd., (PAN: AACCC2943F), located at Survey No.22/IB, 55/2, Bashettihalli, Doddaballapur, Karnataka-561203 - Reg.**

Ref: Assessee's application dated 20.04.2022

****

<u>ORDER UNDER SECTION 17(2) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961</u>

M/s. Manipal Hospitals Pvt. Ltd., filed an application dated 20.04.2022 seeking approval u/s 17(2) of the Income-tax Act, 1961, for its unit **located at Survey No.22/IB, 55/2, Bashettihalli, Doddaballapur, Karnataka-561203.**

2. The Deputy Commissioner of Income-tax, Circle 2(2)(1), Bengaluru has conducted necessary enquiries & inspections. The report and the enclosures were considered.

2.1 The assessee, **M/s. Manipal Hospitals Pvt. Ltd.,** is running a hospital and it is seen from the details placed before me that the said hospital satisfies the conditions as specified in Section 17(2) of the Income-tax Act, 1961.

2.2 In exercise of the powers conferred under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub section (2) of Section 17 of the Income tax Act, 1961 read with Rule 3A of the Income-tax Rules, 1962 and having regard to guidelines prescribed therein, I, the Chief Commissioner of Income-tax, Bengaluru-1, Bengaluru, hereby approve **M/s. Manipal Hospitals Pvt. Ltd for its unit located at Survey No.22/IB, 55/2, Bashettihalli, Doddaballapur, Karnataka-561203,** for the purpose of said sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-section (2) of section 17 of the Income-tax Act, 1961.

2.3. Accordingly, any sum paid by an employer in respect of any expenditure actually incurred by an employee on his medical treatment or of any member of his

family at **M/s. Manipal Hospitals Pvt. Ltd** for its unit **located at Survey No.22/IB, 55/2, Bashettihalli, Doddaballapur, Karnataka-561203,** in respect of the diseases or ailments prescribed under Rule 3A(2) of the Income tax Rules, 1962, shall not be treated as a perquisite for the purposes of sections 15, 16 and 17 of the Income-tax Act, 1961 and such sum shall be exempt from Income-tax in the hands of the employee.

Sub-Rule No.	Diseases or ailments prescribed under Rule 3A(2)
a)	Tuberculosis
b)	Acquired Immunity Deficiency Syndrome (AIDS)
c)	Disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation.
d)	Ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation
e)	Fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopaedic treatment
f)	Gynaecological or Obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean opration or laparoscopic intervention
g)	Ailment or disease of the organs mentioned at, requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days
h)	Gynaecological or Obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.
i)	Mental disorder – neurotic or psychotic – requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous day.
j)	Drug addiction requiring medical treatment in a hospitalfor at least seven continuous days.
k)	Anaphylectic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

The employer will not be liable to deduct tax under section 192 of the Income-tax Act, 1961 in respect of such sum.

3. The Hospital shall issue a certificate to the employee who avails the medical facility specifying the disease or ailment for which medical treatment was given and the amount of expenditure incurred in payment to the Hospital and for medicines along with the relevant bills.

4. The approval is only for the purpose of sub clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub section (2) of sec. 17 of the Income-tax Act, 1961 and shall not be construed as approval of the Central Government or the Chief Commissioner of Income-tax, Bengaluru-1, or any other statutory authority under the Government for any other purpose.

O/o. Chief Commissioner of Income-Tax, Bengaluru-1, Bengaluru

............3/-

5. The approval is effective from the date of this order and shall remain in force until and unless withdrawn/cancelled. This approval is subject to Hospital's continued compliance with the statutory conditions prescribed under Rule 3A of the Income-tax Rules, 1962, necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by an amendment to the provisions governing the approval under the Income-tax Act, 1961.

6. The order of the approval is subject to the following terms and conditions:-

a) This approval is not transferable,

b) The hospital shall be open for inspection by such officers of the Income-tax Department as are duly authorised in this behalf at all reasonable times,

c) The hospital shall conform to such conditions as are prescribed under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub clause (viii) of sub section (2) to section 17 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 3A of the Income-tax Rules, 1962. In the event that the hospital ceases to satisfy any of the Conditions prescribed under the Act, it will be mandatory on the part of the hospital, to intimate such fact immediately, to the approving authority.

7. This approval is subject to the applicant further furnishing copies of renewals obtained from the undermentioned local authorities on expiry of the validity period.

(i) Trade License obtained from the Bashettihalli Town Panchayat, Doddaballapur, which is **valid till 31.03.2023.**

(ii) Copy of renewal certificate from the Karnataka State Pollution Control Board (KSPCB) on expiry of the authorisation which is in force till **30.09.2022.**

(iii) Registration of the hospital under KPMEA(Amendment) Act, 2018 for providing medical services as a hospital under allopathy system of medicine **is valid till 15.02.2027**.

Hindi Version follows.

Sd/-
(PRASHANT BHUSHAN)
मुख्यआयकरआयुक्त/Chief Commissioner of Income-tax,
बेंगलूरु - 1, बेंगलूरु Bengaluru-1, Bengaluru

To

M/s. Manipal Hospitals Pvt. Ltd.,
<u>Regd Office:</u> No.98/2, Rustom Bagh,
Off: HAL Airport Road, Bengaluru-560 017

Copy for information to:

1. The Joint Secretary, CBDT, New Delhi,
2. The Pr.Chief Commissioner of Income tax, Karnataka & Goa Region, Bengaluru,
3. The Director General of Income tax (Inv.), Karnataka & Goa Region, Bengaluru
4. The Chief Commissioner of Income tax, TDS, International Taxation-South Zone, Bengaluru
5. All the Pr. Chief Commissioners of Income tax in India,
6. All the Chief Commissioners of Income tax in India
7. The Pr.Commissioner of Income tax, Central/Intl.Taxation /DTRTI / Audit/CO/ITAT/Judicial/Admn. & CO/Exemption/Transfer Pricing/ I &CI/ CPC, Bengaluru.
8. The Pr.Commissioner of Income tax, Bangalore-1/2/3, Hubballi, Panaji
9. The Director of Income tax (Inv.), Bengaluru.

(भुवनेश्वरी एस/**BHUVANESHWARI S)**
आयकरउप आयुक्त(मुख्या.)/**Dy. Commissioner of Income-tax (HQ),**
कृतेमुख्यआयकरआयुक्त/ **for Chief Commissioner of Income-tax**
बेंगलूरु- **1,** बेंगलूरु /**Bengaluru-1, Bengaluru**

मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय,बेंगलुरु-1, बेंगलुरु
Office of the Chief Commissioner of Income tax, Bengaluru-1, Bengaluru
केन्द्रीयराजस्वभवन, क्वींसरोड, बेंगलुरु – 560 001
C.R. Buildings, Queen's Road, Bengaluru – 560 001.
Tele: 080-22864218 FAX:080-22860459

फा.सं.17(2)/MHPL-K/CCIT/BNG-1/2022-23 दिनांक: 01.09.2022

मुख्य आयकर आयुक्त बेंगलूरु-1, बेंगलूरु की कार्यवाही

श्री प्रशांत भूषण, भा.रा.से.

मुख्य आयकर आयुक्त, बेंगलूरु-1, बेंगलूरु

****

विषयः-मेसर्स मणिपाल हॉस्पिटल प्र.लि. सर्वे नं. 22/आई.बी, 55/2, बशेतीहल्ली, दोड्डुल्लापुर, कर्नाटक-561203 (पैन-**AACCC2943F**) के मामले में आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अधीन अस्पताल के अनुमोदन के संबंध में।

संदर्भः- निर्धारिती का दिनांक 20.04.2022 का आवेदन।

******

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन आदेश

मेसर्स मणिपाल हॉस्पिटल प्र.लि ने दिनांक **20.04.2022** को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन **सर्वे नं.22/आईबी, 55/2, बाशेट्टीहल्ली, दोड्डबल्लापुर, कर्नाटक- 561203,** में स्थित अपनी इकाई अनुमोदन के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. आयकर उप आयुक्त, सर्कल 2(2)(1), बैंगलोर, ने आवश्यक पूछताछ और निरीक्षण किया। रिपोर्ट और संलग्नकों पर विचार किया गया है।

2.1. निर्धारिती, **मेसर्स मणिपाल हॉस्पिटल प्र.लि**, एक अस्पताल चला रहे हैं और मेरे समक्ष प्रस्तुत विवरण से ज्ञात होता है कि अस्पताल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

2.2. आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए के साथ पठित आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परंतुक खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निर्दिष्ट दिशा निर्देशों को ध्यान मे रखते हुए, मैं, मुख्य आयकर आयुक्त, बेंगलूरु-1, **मेसर्स मणिपाल हॉस्पिटल प्र.लि, (पैन-AACCC2943F), सर्वे नं.22/आईबी, 55/2, बाशेट्टीहल्ली दोड्डबल्लापुर, कर्नाटक- 561203** को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परंतुक के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के उक्त उद्देश्य के लिए स्वीकृति प्रदान करती हूँ ।

2.3. तदनुसार, कर्मचारी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य मेसर्स **मेसर्स मणिपाल हॉस्पिटल प्र.लि की इकाई जो सर्वे नं.22/आईबी, 55/2, बाशेट्टीहल्ली दोड्डबल्लापुर, कर्नाटक- 561203 में** स्थित है। किसी बीमारी या रोग, जो आयकर नियमावली 1962 के नियम 3ए(2) में निर्दिष्ट है, का उपचार कराते हैं और खर्च की गई राशि नियोजक द्वारा वहन की जाती है तो इसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15, 16,17 के उद्देश्य के लिए परिलब्धि नहीं माना जायेगा तथा इस राशि पर कर्मचारी को आयकर से छूट प्राप्त होगी।

उपनियम सं.	नियम 3A (2) के अधीन निर्धारित बीमारी अथवा रोग
(a)	टी.बी.
(b)	एड्स
(c)	हृदय, रक्त, लसिका ग्रंथि, मज्जा, स्वसन प्रणाली, केंद्रीय स्नायु तंत्र, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचन तंत्र, अंत: श्रावी ग्रंथियों या त्वचा आदि से संबंधित रोग या बीमारी, जहाँ शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो।
(d)	आँख, कान, नाक या गला से संबंधित रोग या बीमारी जहाँ शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो।
(e)	कंकाल तंत्र के किसी भी भाग में अस्थि भंग या कशेरुक की अव्यवस्था जिसमें शल्य चिकित्सा या हड्डी संबंधी उपचार की आवश्यकता हो।
(f)	स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति रोग या बीमारी जहाँ शल्य चिकित्सा, सिजेरियन आपरेशन, लैप्रोस्कोपिक इंटर्वेंसन की आवश्यकता हो।
(g)	पंक्ति (डी) मे वर्णित अंगों से संबंधित रोगो या बीमारियों के उपचार हेतु लगातार तीन दिनों तक अस्पताल में रहना आवश्यक हो ।
(h)	स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति रोग या बीमारी जिसके उपचार के लिए लगातार तीन दिनों तक अस्पताल में रहना आवश्यक हो ।
(i)	मानसिक विकार –न्युरोटिक या मानसिक जिसके उपचार के लिए लगातार तीन दिनों तक अस्पताल में रहना आवश्यक हो ।
(j)	नशीली दवाओं की लत के उपचार के लिए लगातार सात दिनों तक अस्पताल मे रहना आवश्यक हो।
(k)	एनाफिलेक्टिक शॉक जिसमें इंसुलीन शॉक भी सामिल है, दवाओं का रियेक्शन , एलर्जी के रोग जिनके उपचार के लिए लगातार तीन दिनों तक अस्पताल में रहना आवश्यक हो ।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के तहत नियोक्ता इन राशियो के संदर्भ में कर कटोती हेतु उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अस्पताल, उपचार प्राप्त करने वाले कर्मचारी को एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जिसमें रोग एवं बीमारी, जिसके लिए चिकित्सा उपचार प्राप्त किया गया हो एवं अस्पताल को किये गये भुगतान एवं दवाइयों के लिए वहन किये गये खर्च की रकम का उल्लेख हो। नियोजक ऐसी राशि के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अधीन कर कटौती करने का हकदार नहीं होगा।

4. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परंतुक खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के उद्देश्य के लिए है एवं इसको किसी अन्य उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार या मुख्य आयकर आयुक्त, बेंगलूर-1, बेंगलूर या सरकार के अधीन किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा।

5.यह अनुमोदन,पत्र के दिनांक से प्रभावी है एवं इसे वापस लेने या रद्द करने तक लागू रहेगा। यह अनुमोदन अस्पताल द्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3(ए) में निर्दिष्ट सांविधिक शर्तों के साथ सतत् अनुपालन पर निर्भर है और ऐसे परिवर्तन जो आवश्यकतानुसार आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी संशोधन की अपेक्षा रखता है।

6. इस अनुमोदन का आदेश निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है:-

(क) यह अनुमोदन अन्तरणीय नहीं है।

(ख) विधिवत्प्राधिकृत किये गये आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए अस्पताल सभी उचित समयों पर खुला रहेगा।

(ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3(ए) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परंतुक खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन अस्पताल को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। अस्पताल यदि कानून द्वारा निर्धारित किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है तो अस्पताल की ओर से यह अनिवार्य होगा कि ऐसे तथ्य को अनुमोदन जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत सूचित करें।

7. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा वैधता अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त नवीनीकरण की प्रतियों को प्रस्तुत करने के अधीन है।

i) बाशेट्टीहल्ली टाउन पंचायत दोड्डाबल्लापुर से प्राप्त ट्रेड लाइसेंस जो दिनांक 31.03.2022 तक मान्य है।

ii) प्राधिकरण के समाप्ति पर कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के.एस.पी.सी.बी) के प्रमाण पत्र का नवीकरण की प्रति जो 30.09.2022 तक है।

iii) के.पी.एम.ई.ए(संसोधन) अधिनियम 2018 के तहत अस्पताल का पंजीकरण चिकित्सा की अलोपती प्रक्रिया के अधीन अस्पताल के रुप में दिंनाक 15.02.20227 तक चिकित्सीय सेवाओ के प्रावधान के लिए वैध है।

हिन्दी संस्करण इस प्रकार है।

हस्ता./
(प्रशांत भूषण, भा.रा.से.)
मुख्य आयकर आयुक्त,
बेंगलूरु-1, बेंगलूरु,

सेवा में,
मेसर्स मणिपाल हॉस्पिटल प्र.लि
पंजीकृत कार्यालय: न. 98/2, रुस्तम बाग, ऑफ एचएएल एयरपोर्ट रोड
बेंगलुरु-560032

<u>सूचनार्थ प्रति:</u>

1. संयुक्त सचिव,केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,नई दिल्ली।
2.प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, कर्नाटक एवं गोवा क्षेत्र, बेंगलूरु
3.आयकरमहानिदेशक (अन्वे.), कर्नाटक एवं गोवा क्षेत्र, बेंगलूरु
4.मुख्य आयकर आयुक्त-2/टीडीएस/पणजी/अंतरराष्ट्रीय कराधान-दक्षिण क्षेत्र, बेंगलूरु
5.भारत के सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
6.भारत के सभी मुख्य आयकर आयुक्त
7.प्रधान/आयकरआयुक्त-केन्द्रीय/एल.टी.यू./अंतरराष्ट्रीय कराधान/डीटीआरटीआई/ऑडिट/कं.प्र./आइटीएटी/न्यायिक/प्रशा. एवं कं.प्र./ /छूट/अंत.मूल्यन/आसूचना एवं आ.अ./सीपीसी, बेंगलूरु।
8.प्रधान आयकर आयुक्त,राजकोट -1,आयकर भवन, 2nd फ्लोर ,रेस कोर्से रिंग रोड, राजकोट -360001
8.प्रधान आयकर आयुक्त-1/2/3/हुब्बल्ली/पणजी।
9.आयकर निदेशक (अन्वे.), बेंगलूरु।

(भुवनेश्वरी. एस)
आयकर उप आयुक्त (मुख्या.),
कृते मुख्य आयकर आयुक्त,
बेंगलूरु-1, बेंगलूरु